

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत मूल्यांकन आख्या

विभाग का नाम
लोक प्राधिकरण का नाम
पूर्ण पता
लोक प्राधिकारी का नाम
लोक प्राधिकारी का पदनाम
मो नो
नोडल अधिकारी का नाम
नोडल अधिकारी का पदनाम
मो नो
विभागीय मैन्युअल का लिंक

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड
बहादुर शारत्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इल्दूचौड
दीना डी कलास, इल्दूचौड (नैनीताल)
प्रो सीमा श्रीवास्तव
प्राचार्य
94560622527
प्रो कृष्ण कुमार
प्रोफेसर
8659534568
WWW.IBSGDCHALDUCHAUR.COM

ऑडिट कार्य के प्रयोगार्थ

सूचना आयोग के प्रयोगार्थ

4(1) (ख) की उप धारा	अधिनियम में प्राविधान	अभिलेख /विवरण जिसका उल्लेख किया जाना है।	संबंधित पेज का लिंक /पेज संख्या	लोक प्राधिकारी के द्वारा स्व:मूल्यांकन (हाँ / नहीं / /आंशिक)	अधिकतम अंक	लोक प्राधिकारी की टिप्पणी	ऑडिटर के द्वारा स्व:मूल्यांकन (हाँ / नहीं / /आंशिक)	ऑडिटर के अंक	ऑडिटर की टिप्पणी	आयोग के द्वारा स्व:मूल्यांकन (हाँ / नहीं / /आंशिक)	आयोग के अंक	आयोग के की टिप्पणी
(i)	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	(1) संगठन का नाम और पता	WWW.L	हाँ	1	-						
		(2) संगठन का प्रमुख	BSGDCH	हाँ	1	-						
		(3) विजन, मिशन और मुख्य उद्देश्य	ALDUCH	हाँ	1	-						
		(4) कार्य और कर्तव्य	AUR.CO	हाँ	1	-						
		(5) संगठन चार्ट	M	हाँ	1	-						
		(6) कोई अन्य विवरण – विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन और समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों / आयोगों का विवरण		हाँ	1	-						
(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य,	(1) अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक)	WWW.L BSGDCH ALDUCH	हाँ	1	-						
		(2) अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	AUR.CO	हाँ	1	-						
		(3) नियम /आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं और	M	हाँ	1	-						
		(4) सम्पादित कार्य		हाँ	1	-						
		(5) कार्य आवंटन		हाँ	1	-						



4(1) की (ख) की संख्या	अधिनियम में प्राविधान	अभिलेख/विवरण जिसका उल्लेख किया जाता है।	संबंधित पेज का लिक/पेज संख्या	लोक प्राधिकारी के द्वारा स्व मूल्यांकन (हो/नहीं/आंशिक)	अधिकतम अंक	लोक प्राधिकारी की टिप्पणी	ऑडिटर के द्वारा स्व मूल्यांकन (हो/नहीं/आंशिक)	ऑडिटर के अंक	ऑडिटर की टिप्पणी	आयोग के द्वारा स्व मूल्यांकन (हो/नहीं/आंशिक)	आयोग के अंक	आयोग के की टिप्पणी
(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	(1) निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने के प्रमुख विदुओं की पहचान करना (2) अंतिम निर्णय लेने का अधिकार (3) संबंधित प्राधान, अधिनियम, नियम आदि AUR.C (4) निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो (5) पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल	WWW .IBSG DCHAL DUCH AUR.C OM	हो हो हो हो हो	1 1 1 1 1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	(1) प्रस्तावित कार्यों/सेवाओं की प्रकृति (2) कार्यों/सेवा विवरण के लिए मानदण्ड /मानक (3) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है (4) लक्ष्य प्राप्त करने की समय-सीमा (5) शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया	WWW .IBSG DCHAL DUCH AUR.C OM	हो हो हो हो हो	1 1 1 1 1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	1) रिकॉर्ड/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति। 2) नियमों, विनियमों, निर्देश मैनुअल और अभिलेखों की सूची। 3) अधिनियम/नियम मैनुअल आदि। 4) स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश	WWW .IBSG DCHAL DUCH AUR.C OM	हो हो हो हो हो	1 1 1 1 1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण,	(1) दस्तावेजों की श्रेणियाँ (2) दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक	WWW .IBSG DCHAL DUCH AUR.C	हो हो	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(vii)	किसी व्यवस्था की	जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या	WWW	हो	1	-	-	-	-	-	-	-

4(1) की उप धारा	अधिनियम में प्राविधान	अभिलेख / विवरण जिसका उल्लेख किया जाना है।	संबंधित पेज का लिंक / पेज संख्या	लोक प्राधिकारी के द्वारा स्व.मूल्यांकन (हो/नहीं / आंशिक)	अधिकतम अंक	लोक प्राधिकारी की टिप्पणी	ऑडिटर के द्वारा स्व.मूल्यांकन (हो/नहीं / आंशिक)	ऑडिटर के अंक	ऑडिटर की टिप्पणी	आयोग के द्वारा स्व.मूल्यांकन (हो/नहीं / आंशिक)	आयोग के अंक	आयोग के की टिप्पणी
विशेषाद्वय, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है,	(1) प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।	(1) प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।	.LBSG DCHAL DUCH AUR.C OM	हां	1	-						
	(2) परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा	(2) परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा		हां	1	-						
	क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्य	क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्य		हां	1	-						
	बी) आगंतुकों के लिए दिन और समय आवंटित	बी) आगंतुकों के लिए दिन और समय आवंटित		हां	1	-						
	ग) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण	ग) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण		हां	1	-						
	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)		नहीं	0	-						
	(1) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो	(1) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो		नहीं	0	-						
	(2) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)	(2) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)		हां	1	-						
	(3) रियायती समझौते।	(3) रियायती समझौते।		नहीं	0	-						
	(4) संचालन और रखरखाव मैनुअल	(4) संचालन और रखरखाव मैनुअल		हां	1	-						
	(अ) पीपीपी के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज	(अ) पीपीपी के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज		नहीं	0	-						
	(ब) पीएस, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है	(ब) पीएस, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है		नहीं	0	-						
	(स) आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी	(स) आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी		हां	1	-						
	(द) निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायत प्राप्तकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया	(द) निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायत प्राप्तकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया		नहीं	0	-						
	(ध) पीपीपी परियोजना के तहत किए गए सभी भुगतान	(ध) पीपीपी परियोजना के तहत किए गए सभी भुगतान		नहीं	0	-						

4(1) (ख) की उप धारा	अधिनियम में प्राविधान	अभिलेख / विवरण जिसका उल्लेख किया जाना है।	संबंधित पेज का लिंक / पेज संख्या	लोक प्राधिकारी के द्वारा स्व:मूल्यांकन (हाँ/नहीं / आंशिक)	अधिकतम अंक	लोक प्राधिकारी की टिप्पणी	ऑडिटर के द्वारा स्व:मूल्यांकन (हाँ/नहीं / आंशिक)	ऑडिटर के अंक	ऑडिटर की टिप्पणी	आयोग के द्वारा स्व:मूल्यांकन (हाँ/नहीं / आंशिक)	आयोग के अंक	आयोग के की टिप्पणी
(viii)	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी	(1) बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम। (2) रचना (3) तारीखें जिनसे गठन हुआ (4) अवधि / कार्यकाल (5) शक्तियाँ और कार्य (6) क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं? (7) क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं? (8) वह स्थान जहां जनता के लिए खुले मिनट उपलब्ध हैं?	WWW .LBSG DCHAL DUCH AUR.C OM	हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ	1 1 1 1 1 1	- - - - - -						
(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की	(1) नाम और पदनाम (2) टेलीफोन, फ़ैक्स और ईमेल आईडी	WWW .LBSG WWW	हाँ हाँ हाँ	1 1 1	- - -						
(x)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबोधित है	1) सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची (2) मुआवजे की प्रणाली जैसाकि इसके नियमों में प्रदान किया गया है	.LBSG DCHAL DUCH AUR.C OM	नहीं	0	-						

(ख) की उप धारा	अधिनियम में परिभाषित जारी है।	संबंधित पेज का लिंक/पेज संख्या	लोक प्राधिकारी के द्वारा स्व मूल्यांकन (हो/नहीं/आंशिक)	अधिकतम अंक	लोक प्राधिकारी की टिप्पणी	ऑडिटर के द्वारा स्व मूल्यांकन (हो/नहीं/आंशिक)	ऑडिटर के अंक	ऑडिटर की टिप्पणी	आयोग के द्वारा स्व मूल्यांकन (हो/नहीं/आंशिक)	आयोग के अंक	आयोग के की टिप्पणी
(xv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संख्या में बढ़ाए जाते हैं उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो	(1) रिगार/ पाठिकरण परसेट प्रदान करने की विधि (2) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण (3) परमाणु/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी का नाम/शीर्षक (4) स्थान जहां उपलब्ध हो	WWW .LBSG DCHAL DUCH AUR.C OM	हो	1							
(xvi) सूचना अभिप्राय करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टता, जिनमें किन्हीं पुस्तकालय या याचन कक्षा के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घटे सम्मिलित है	(1) संकाय का नाम और स्थान (2) उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण (3) सुविधा के कार्य घटे (4) संपर्क व्यक्ति और संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ईमेल)	WWW .LBSG DCHAL DUCH AUR.C OM	हो	1							
(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण	लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना और अपील प्रधिकारी का नाम और पदनाम	WWW .LBSG DCHAL	हो	1							

4(i) (ख) को उप धारा	अधिनियम में प्राविधान	अभिलेख / विवरण जिसका उल्लेख किया जाना है।
	नगरपालिका	(2) प्रत्येक नाभित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी।
(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए		(1) शिकायत निवारण तंत्र (2) आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों और प्रदान की गई जानकारी का विवरण (3) पूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं / कार्यक्रमों की सूची (4) चल रही योजनाओं/परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की सूची (5) टेकेदार के नाम सहित किए गए सभी अनुबंधों का विवरण, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि (5) वार्षिक रिपोर्ट (6) अग्रसर पूछे जाने वाले प्रश्न (7) कोई अन्य जानकारी जैसे (क) नागरिक चार्टर (ख) परिणाम प्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) (ग) छह मासिक रिपोर्ट (घ) नागरिक चार्टर में निर्धारित मानकों के विरुद्ध प्रदर्शन (ङ) विधान सभा में पूछे गये प्रश्न और उनके उत्तर (8) धारा 4 के तहत अधिक से अधिक अभिलेखों के स्वप्रकटन हेतु नाभित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष / मोबाइल, पूर्ण पता (9) एजी का पैरा धारा 8 के अधीन रहते हुए

संबंधित पेज का लिंक/पेज संख्या	लोक प्राधिकारी के द्वारा स्वमूल्यांकन (हाँ/नहीं/ /आंशिक)	अधिकतम अंक	लोक प्राधिकारी की टिप्पणी	ऑडिटर के द्वारा स्वमूल्यांकन (हाँ/नहीं/ /आंशिक)	ऑडिटर के अंक	ऑडिटर की टिप्पणी	आयोग के द्वारा स्वमूल्यांकन (हाँ/नहीं/ /आंशिक)	आयोग के अंक	आयोग के की टिप्पणी
DUCH AUR.C	हाँ	1							
WWW	हाँ	1							
.LBSG	हाँ	1							
DCHAL	हाँ	1							
DUCH	हाँ	1							
AUR.C	हाँ	1							
OM	हाँ	1							
	हाँ	1							
	हाँ	1							
	नहीं	0							
	नहीं	0							
	हाँ	1							
	नहीं	0							
	नहीं	0							
	नहीं	0							
	नहीं	0							
	हाँ	1							
	हाँ	1							
	हाँ	1							

4(1) अधिनियम में प्राविधान (ख) की उप धारा	अभिलेख/विवरण जिसका उल्लेख किया जाना है।
	14. शासन स्तर से जारी शासनादेश, दिशा-निर्देश तथा विभागाध्यक्ष स्तर से जारी प्रमुख आदेश, कार्यालय ज्ञाप, दिशा-निर्देश को भी विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना 15. नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकारों/सेवाओं का पूर्ण विवरण उपलब्ध होना चाहिए। 16. वेबसाइटों में प्रमुख संपर्कों की विस्तृत निर्देशिका, सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारियों का विवरण होना चाहिए। 17. आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(b)(iv) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके पास मौजूद विवरण का खुलासा 18. वेब पेज पर आरटीआई के तहत सक्रिय रूप से प्रकट की गई जानकारी या डेटा शीर्ष दायें कोने पर, अनिवार्य फीलड अंतिम अद्यतन तिथि के साथ प्रदर्शित किया गया है या नहीं 19. विभाग में नामित लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पूर्ण पता व सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 20. अभिलेखों के स्वप्रकटन किये जाने हेतु नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, पूर्ण पता व सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

संबंधित पेज का लिंक/पेज संख्या		लोक प्राधिकारी के द्वारा स्व:मूल्यांकन (हाँ/नहीं/आंशिक)	अधिकतम अंक	लोक प्राधिकारी की टिप्पणी	ऑडिटर के द्वारा स्व:मूल्यांकन (हाँ/नहीं/आंशिक)	ऑडिटर के अंक	ऑडिटर की टिप्पणी	आयोग के द्वारा स्व:मूल्यांकन (हाँ/नहीं/आंशिक)	आयोग के अंक	आयोग के की टिप्पणी
		हाँ	2							
		हाँ	1							
		हाँ	1							
		हाँ	1							
		हाँ	1							
		हाँ	1							
		हाँ	1							
		हाँ	1							
		हाँ	1							
		हाँ	1							

क्र. (ख) को उप बां	अधिकतम में जाबान	अभिलेख / विवरण जिसका उल्लेख किया जाना है।	संबंधित पेज का लिक/पेज संख्या	लोक प्राधिकारी के द्वारा स्वमूल्यांकन (हैं/नहीं / आंशिक)	अधिकतम अंक	लोक प्राधिकारी की टिप्पणी	ऑडिटर के द्वारा स्वमूल्यांकन (हैं/नहीं / आंशिक)	ऑडिटर के अंक	ऑडिटर की टिप्पणी	आयोग के द्वारा स्वमूल्यांकन (हैं/नहीं / आंशिक)	आयोग के अंक	आयोग के की टिप्पणी
		21. विधान सभा के पटल पर यदि विभाग की वार्षिक रिपोर्ट पटलीकृत की जाती है तो उसमें आर0टी0आई0 के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी है		नहीं	0							
		22. स्वराज्य एवं प्रगतिवाहक हेतु नामित नौदल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोन / दूरभाष नम्बर		हैं	1							
		23. विभाग के द्वारा नागरिक हेतु संवाहित योजना से संबंधित जानकारी/शिकायत हेतु नामित अधिकारी का नाम, पदनाम, मोन0, दूरभाष नम्बर		हैं	1							
लोक प्राधिकरण के नियंत्रण के स्वमूल्यांकन में प्राप्त कुल अंक (अधिकतम 100)					80							
लोक प्राधिकरण के वेबसाइट के स्वमूल्यांकन में प्राप्त कुल अंक (अधिकतम 25)					22							

हस्ताक्षर
लोक प्राधिकारी का नाम
पदनाम

Seema Srivastava

प्रो सीमा श्रीवास्तव
प्रादेशीय राजकीय
लाव ब्रह्मपुर भारतीय महाविद्यालय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
इलहवा